उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-97/2015/8069/62-2-2015-2/4(51)/2014
लख्नऊ: दिनांक: 02 सितम्बर,2015

कार्यालय ज्ञाप

शासन की विज्ञप्ति सं0-2331/62-2-2014-2/4(51)/2014, दिनांक 04.12.2014 द्वारा 28 अधिशासी अभियन्ताओं, जिसमें श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद का भी नाम सम्मिलित है, की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण माने जाने के आदेश पारित किये गये थे। तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा अपने स्तर से ही बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के विज्ञप्ति सं0-3841/62-2-2014-2/4(51)/2014, दिनांक 05/08.12.2014 द्वारा श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद की परिवीक्षा अवधि को टी0ए0सी0 जांच लम्बित रहने तक सफलतापूर्वक पूर्ण न माने जाने के आदेश पारित किये गये हैं। टी0ए0सी0 द्वारा की जा रही जांच प्रारम्भिक जांच की श्रेणी के अन्तर्गत आती है और टी0ए0सी0 की प्रारम्भिक जांच के आधार पर श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद की परिवीक्षा अवधि को स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अत: सम्यक विचारोपरांत विज्ञप्ति सं0-3841/62-2-2014-2/4(51)/2014, दिनांक 05/08.12.2014 को निरस्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

सं0: -97/2015/ 8069(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- संबंधित अधिशासी अभियंता की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु ।
4- संबंधित अधिकारी ।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in